न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 245/2013
CCMS No. : 2013/00238

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगणः–
1. मंदिर श्री जैनराज उर्फ जानकीनाथ शासवत् नाबालिग जरिए पुजारी पुरूषोतमदास पुत्र कानदास जाति–वैष्णव निवासी–पिपाड़ा, तहसील जैतारण जिला पाली।		1. नारायण दत्तक पुत्र रामू 2. भागुराम पुत्र उगराराम जाति जाट निवासी– लिलरिया(बेरा रिणवा) आ.कालू। 3. भीकसिंह पुत्र सज्जनसिंह जाति– राजपूत निवासी– घोड़ावड़, तहसील– जैतारण। 4. उपपंजीयन अधिकारी जैतारण। 5. तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजूः–16/09/2013

उपस्थितः– 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री महेन्द्र कुमार गुंरा, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनॉक :– 28/03/2022

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि गांव आकोदिया के भोमिया राजपूतो के पूर्वजो ने आज से 300 वर्षो पूर्व ग्राम पीपाड़ा में जैनराज उर्फ जानकीनाथ मंदिन बनवाया जिसमें भगवान ठाकुरजी, रामजी आदि की मुर्तिया प्रतिस्थापित की तथा मंदिर मे स्थित भगवान की सेवा, पूजा, अर्चना, भोग व मंदिर के रखरखाव आदि के लिए इस मंदिर के पीछे कृषि भूमि भी दान की तथा इस मंदिर में स्थित भगवान की पूजा, अर्चना, भोग तथा मंदिर की देखरेख आदि के लिए पीढियो से अर्थात परम्परागत पुजारी पूजा करते आ रहे है, तथा वर्तमान में इस मंदिर में स्थित भगवान की सेवा पूजा अर्चना भोग आदि नियमित रूप से पुजारी पुरूषोतमदास जी कर रहे है। सरहद मौजा आकोदिया तहसील जैतारण में खसरा संख्या 56 रकबा 01–00 बीघा, खसरा संख्या 57 रकबा 34–04 बीघा कुल रकबा 35–04 बीघा किस्म बारानी दोयम प्रतिवादीगण के नाम जमाबन्दी में इन्द्राज [illegible] रोग एन्ट्री चला आ रहा है, जो काबिल दुरूस्ती के है। नकल जमाबन्दी संवत् [illegible] की पेश है। वादग्रस्त आराजी मं वक्त सेटलमेंट पर्चा खतौनी संवत् 2007 व 2008 व म्युटेशन संख्या एक में भी वादी मंदिर के नाम की खातेदारी [illegible] खूद काश्त के [illegible] दर्ज है जो एक शाश्वत् नाबालिग है तथा काश्त के रूप में प्रतिवादी संख्या एक के पिता व प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

संख्या दो के पिता का नाम दर्ज है जो भी एक गलत इन्द्राज है, जबकि उक्त कृषि भूमि में वक्त सेटलमेंट से आज दिन तक इस कृषि भूमि में वर्तमान में पुजारी पुरूषोतमदासजी व इसके पूर्व इनके पूर्वज काश्त करते आ रहे है। उक्त कृषि भूमि में कोई भी काश्त करता है तो वह काश्त स्वयं भगवान द्वारा करी हुई मानी जाती है। तथा वक्त सेटलमेंट संवत 2007 व 2008 से आज दिन तक उक्त कृषि भूमि पर वादी मंदिन श्री भगवान जैनराज जी उर्फ जानकीनाथ का ही कब्जा व काश्त निरन्तर रूप से बिना किसी रोक टोक के प्रतिवादीगण की जानकारी में चला आ रहा है, उक्त भूमि पर मंदिन श्री भगवान जी की और से पुजारी मूरलीदास जी पुत्र मानदासजी व इनकी मृत्युपरान्त उनके पुत्रान् कल्याणदास, अम्बादास, मदनदास तथा वर्तमान में पुजारी पुरूषोतमदास जी काश्त करते है तथा काश्त से होने वाली आय से मंदिर में स्थित भगवान की सेवा पूजा, अर्चना भोग आदि करते है तथा मंदिर की देखरेख सार संभाल मरम्मत आदि का भी खर्चा करता है इस प्रकार वाद में वर्णित भूमि के एक मात्र खातेदार व स्वामित्व वादी का ही चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि वक्त सेटलमेंट में जारी पर्चा खतौनी संवत् 2007 व 2008 में उक्त भूमि बतौर खुद काश्त के वादी के नाम दर्ज है तथा काश्त के रूप में काश्तकार प्रतिवादी संख्या एक व दो के पिता माधवा कौम जाट निवासी– आ.कालू ढाणी लिलरिया दर्ज है। तथा म्युटेशन संख्या एक में भी उक्त भूमि वादी मंदिर के नाम बतौर खूदकाश्त के दर्ज है।, परन्तु जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022 में उक्त कृषि भूमि के कॉलम संख्या 5 में रामू, उगरिया पि. माधवजाट साकिन कालू ढाणी लिलरिया खातेदार दर्ज है, जो बिना किसी म्युटेशन बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से दर्ज है, उक्त गलत इन्द्राज वर्तमान जमाबन्दी तक दर्ज है। वादी के हक व अधिकार तथा कब्जे की भूमि में बिना किसी आधार हक के विविधविरूद्ध तरीके से मंदिर की भूमि हड़पने के उद्देश्य से राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो से मिलकर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाकर अपने नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाय वह इन्द्राज शून्य है। जो गलत व गैरकानूनी है ऐसे गैरकानूनी व शून्य इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या तीन को कोई विधिक अधिकार उत्पन्न नही होते है मंदिर भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही होते है मंदिन में स्थित भगवान शाश्वत् नाबालिग है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 से तीन के पक्ष में जो इन्द्राज नामान्तरण भरा गया जो गलत है, तथा कानून की निगाह में शून्य होने से खारिज किया जावे। तथा वादी के पक्ष में नामान्तरण भरा जाकर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाना आवश्यक है। इस पकार नामान्तरणकरण संख्या 233 दिनांक 10.04. 2013 को उगरा के वारिसान के नाम इन्द्राज किया जो गलत है व काबिल दुरूस्त के है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामू व दो के पिता उगराराम के नाम दर्ज होने के बाद इनके वारिसान् के [illegible] होने पर उगरा के वारिसान् जसाराम, रतनाराम, गैरीदेवी व [illegible] अपना हिस्सा जरिए विक्रय विलेख के प्रतिवादी संख्या 3 भीकसिंह को बेचान कर [illegible] जरिए म्युटेशन संख्या 237 दिनांक 05.07.2013 को प्रतिवादी संख्या 3 के नाम जमाबन्दी में इन्द्राज हो गया जो भी गलत व अवैध हरै, क्योकि वाद में वर्णित कृषि भूमि में एक मात्र खातेदार काश्तकार वादी ही है तथा वादी के नाम वक्त सेटलमेंट से पर्चा खतौनी में इन्द्राज है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

द्री भगवान जो कि एक शाश्वत् नाबालिग है, जिसकी कृषि भूमि को कानूनन बेची नी नही जा सकती है। न ही क्रेता को उक्त कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार मिलते है इस प्रकार किया गया बेचान भी कानून की निगाह में शून्य है व बैचान वतः रद्द है। इस प्रकार म्युटेशन संख्या एक, 233 व 237 परित किये गये है, जो ादी के हितो के विरूद्ध बेअसर व शून्य है जो काबिल निरस्त/अपास्त के है। वाद में र्णित कृषि भूमि वक्त सेटलमेंट पर्चा खतौनी में मंदिर श्री जैनराज उर्फ जानकीनाथ के ाम दर्ज है तथा एक खातेदार काश्तकार व कंब्जा व काश्त है जिसकी कृषि भुमि में तिवादी को कोई हक व अधिकार नही मिलते है, उक्त भूमि पर कभी भी तिवादीगण का कब्जा काश्त भी नही रहा है। प्रतिवादीगण दिनांक 18.08.2013 को दी की बोई फसल के खेत पर आये व काह कि उक्त खेत में बोई फसल हम काटकर ले जायेगे तथा तुम्हे कब्जे से बेदखल करेगें व उक्त भूमि खाते में हमारे नाम दर्ज होने से बैचान, हस्तान्तरण, रहन आदि करेगे यदि प्रतिवादीगण मात्र मंदिर श्री भगवान के नाम की कृषि भूमि को मात्र गलत इन्द्राज होने के आधार पर बैचान, हस्तान्तरण रहन कर देते है तो बोई फसल को काटकर ले जाते है या नष्ट कर देते है तो वादी आने जायज हक व अधिकारो से महरुम होना पड़ेगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही हो सकेगी व पक्षकारान् के बीच अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ेगी। जिसके रोके जाने हेतू तथा वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतू वादी ने यह वाद घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। वादी को प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में होने की जानकारी दिनांक 24.07.2013 को राजस्व रेकर्ड की नकले लेने पर हुई। प्रतिवादीगण मात्र गलत इन्द्राज होने के आधार पर उक्त कृषि भूमि किसी अजनबी क्रेता को बैचान हस्तान्तरण बाबत् विक्रय विलेख प्रतिवादी संख्या चार के समक्ष पेश करे तो क्रेता के पक्ष में उसका पंजियन नही करे तथा दौराने वाद पंजीयन कर देवे तो प्रतिवादी संख्या पांच क्रेता के पक्ष में म्युटेशन पारित नही करे जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे। बिनाय वाद दिनांक 24.07.2013 को राजस्व रेकर्ड की नकले देखने पर जमाबन्दी में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने की जानकारी हुई तथा दिनांक 18.08.2013 को प्रतिवादीगण वादी के खेत पर आये व फसल को काटकर ले जाने व नष्ट करने व अपना नाम होने पर बैचान हस्तान्तरण करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम आकोदिया फालका तहसील जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान के अधिकार क्षैत्र में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन वास्ते जवाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण 1 से 3 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 को अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाबदावा पेश नही करने से जवाबदावा बन्द किया गया। अधिवक्ता वादी ने स्वयं वादी पुरूषोतमदास का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्लु1 तथा गवाह मोहनसिंह का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्लु2 पेश किए जो शामिल पत्रावली किए गए, प्रदर्श करवाये गये वादी के शपथ पत्र पर जिरह पूर्ण की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा जाहिर किया गया कि प्रकरण में अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना नही चाहते है अतः प्रकरण उपलब्ध दस्तावेजात् के आधार पर गुणावगुण पर निर्णित कर दिया जाये जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात् का गहनता से अध्ययन किया तथा बहस वकील उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया। पत्रावली का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् क्रमानुसार है।

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत हस्तगत दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आकोदिया तहसील जैतारण की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 56 रकबा 01-00 बीघा, खसरा संख्या 57 रकबा 34-04 बीघा कुल रकबा 35-04 बीघा किस्म बारानी दोयम जो कि वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है जो एक रॉग एन्ट्री चली आ रही है जो काबिल दुरूस्त है। उक्त कृषि भूमि वक्त सेटलमेंट पर्चा खतौनी संवत् 2007-2008 व म्युटेशन संख्या 1 में वादी मंदिर के नाम खातेदारी खुदकाश्त दर्ज है, जो शाश्वत नाबालिग है। तथा काश्त के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता का नाम दर्ज है जो कि एक गलत इन्द्राज है। उक्त भूमि पर आज दिन तक पुजारी पुरूषोतमदास एवं इनके पूर्वज काश्त करते आ रहे है। उक्त कृषि भूमि में कोई भी काश्त करता है तो भी वह काश्त स्वयं भगवान द्वारा की हुई मानी जाती है। उक्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट संवत् 2007-2008 से आज दिन तक वादी मंदिर श्री भगवान जैनराज जी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वक्त सेटलमेंट में जारी पर्चा खतौनी संवत् 2007-2008 में उक्त भूमि बतौर खुदकाश्त के वादी के नाम दर्ज हैं। तथा काश्त के रूप में काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता माधवा कौम जाट निवासी लिलरिया दर्ज है। परन्तु जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022 में उक्त कृषि भूमि के कॉलम संख्या 5 में रामू,उगरिया पि. माधव जाट साकिन कालू ढाणी लिलरिया खातेदार दर्ज किया गया जो बिना किसी म्युटेशन और बिना किसी सक्षम आदेश के दर्ज हुआ जो वर्तमान जमाबन्दी तक दर्ज है जो कि एक गलत इन्द्राज है। अतः वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादीगण का नाम एवं प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी रीति से किए गए हस्तान्तरण से दर्ज नामान्तरण जो कि वादी के हितो के विरूद्ध प्रभाव शून्य है से दर्ज नाम हटाया जाकर वादी का नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे।

2. प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाबदावा प्रस्तुत करने में असफल रहने पर जवाबदावा बन्द किया गया तथा प्रकरण में साक्ष्य ली गई।

3. वादी द्वारा साक्ष्यवादी में पुरूषोतम पुत्र कन्हैयालाल निवासी पीपाड़ा का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्लु 1 तथा मोहनसिंह पुत्र बजरंगसिंह निवासी आकोदिया का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्लु2 प्रस्तुत किया जिसमें गवाह द्वारा शपथ पत्र पर वादपत्र में अंकित कथनो एवं तथ्यो का समर्थन किया। गवाह पुरूषोतम द्वारा जिरह में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि डोली मंदिर श्री जैनराज उर्फ जानकीनाथजी की खातेदारी खुदकाश्त भूमि है। प्रदर्श 2 में अंकित मुरलीदास मेरे दादाजी है। यह भूमि खातेदार गलत इन्द्राज के आधार पर भीकसिंह को बेचान किया, जो गलत है। इसी प्रकार गवाह मोहनसिंह द्वारा जिरह में स्वीकार किया कि पीपाड़ा में जैनराज उर्फ जानकीनाथ का मंदिर है जो पूर्वजो ने बनाया [illegible] मंदिर के पीछे हमारे पूर्वजो ने खसरा संख्या 57 रकबा 34-04 बीघा [illegible] भूमि से जो आय होती है वह मंदिर के सेवा, पूजा, भोग व रखरखाव में काम आती है। उक्त भूमि सेटलमेंट में भगवान जानकीनाथ के नाम दर्ज है। उक्त भूमि में वर्तमान खातेदारान् के नाम गलत दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

साक्ष्यवादी में वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रदर्श 1 ग्राम आकोदिया की जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071, जिसमें खसरा संख्या 56 रकबा 01-00 बीघा व खसरा संख्या 57 रकबा 34-04 बीघा में रामू, उगरा पि. माधा कौम जाट साकिन कालू लिलरिया ढाणी खातेदार दर्ज है। जिसमें नामान्तरण संख्या 233 दिनांक 10.04.2013 विरासत से उगरा पिता माधू के स्थान पर जसाराम, भागुराम, रतनाराम, गैरीदेवी, घेवरी देवी पि. उगराराम दर्ज किया गया। तथा नामान्तरण संख्या 237 दिनांक 05.07.2013 द्वारा बेचान से जसाराम, रतनाराम, गैरीदेवी व घेवरी देवी पि. उगराराम के स्थान पर भीकसिंह पुत्र सज्जनसिंह हिस्सा 4/5 साकिन घोड़ावड़ दर्ज किया गया। प्रदर्श 2 सेटलमेंट डिपार्टमेंट राजस्थान राज्य डिविजन जोधपुर द्वारा ग्राम आकोदिया पट्टा ठिकाना खालसा तहसील जैतारण जिला पाली संवत् 2007-2008 का जारी पर्चा खतौनी के अनुसार खसरा संख्या 56 रकबा 01-00 बीघा किस्म बारानी दोयम तथा खसरा संख्या 57 रकबा 34-04 बीघा किस्म बारानी दोयम मंदिर श्री जैनराजजी वाके गांव पीपाड़ा के नाम माफी दर्ज हैं। तथा पुजारी के रूप में मुरलीदास पुत्र मानदास निवासी पीपाड़ा एवं काश्तकार के रूप में रामू, उगरिया पि. माधा कौम जाट दर्ज है। प्रदर्श 3 – ग्राम आकोदिया की नामान्तरण पंजिका का नामान्तरण संख्या 1 के अनुसार वादग्रस्त आराजी मंदिर श्री जैनराज जी वाके गांव पीपाड़ा की खुदकाश्त दर्ज की गई। प्रदर्श 4– ग्राम आकोदिया की जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022 के अनुसार वादग्रस्त आराजी सरकार द्वारा दिए गए माफी अथवा छोटे छोटे अनुदान की श्रेणी में खतौनी संख्या 36 कॉलम संख्या 4 भूमि अधिकारी के रूप में मंदिर श्री जैनराजजी वाके देह गांव पीपाड़ा पुजारी कानदास, अम्बादास, मदनदास, पि. मुरलीदास कौम साद अंकित है तथा कॉलम संख्या 5 में कृषक विवरण में रामू, उगरिया पि. माधो जाट अंकित है। तथा विशेष विवरण के कॉलम में ''जरिए नामान्तरण संख्या 1 तारीख 26.06.1966 अंकित है।''

5. उपर्युक्त बिन्दू संख्या 4 के विवेचन एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट एवं स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त आराजी संवत् 2007-2008 अर्थात भू प्रबन्ध पूर्व से मन्दिर श्री जैनराज वाके गांव पीपाड़ा के नाम आरम्भ एवं माफी एवं तत्पश्चात खुदकाश्त दर्ज रही है। तथा पुजारी के रूप में मुरलीदास वल्द मानदास तथा काश्तकार के रूप रामू, उगरिया पि. माधो दर्ज थे। इस प्रकार यह आराजी मंदिर श्री जैनराजजी की खातेदारी आराजी है तथा खातेदार मंदिर श्री जैनराजजी शाश्वत नाबालिग है। शाश्वत नाबालिग की दशा में ऐसे शाश्वत नाबालिग की भूमि का कब्जा काश्त शाश्वत नाबालिग का एवं शाश्वत नाबालिग द्वारा किया गया माना जाता है। कोई भी ऐसी संक्रिया जो शाश्वत नाबालिग के हितो के विरूद्ध हो आरम्भतः प्रभाव शून्य मानी जाती है। प्रदर्श-1 वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 में खातेदार के रूप में रामू, उगरा पि. माधा कौम जाट साकिन कालू लिलरिया ढाणी खातेदार दर्ज है। जिसमें नामान्तरण संख्या 233 दिनांक 10.04.2013 विरासत से उगरा पिता माधू के स्थान पर जसाराम, भागुराम, रतनाराम, गैरीदेवी, घेवरी देवी पि. उगराराम दर्ज किया गया। तथा नामान्तरण संख्या 237 दिनांक 05.07.2013 द्वारा बेचान से जसाराम, रतनाराम, गैरीदेवी व घेवरी देवी पि. उगराराम के स्थान पर भीकसिंह पुत्र सज्जनसिंह हिस्सा 4/5 साकिन घोड़ावड़ दर्ज किया गया तथा खातेदार शाश्वत नाबालिग मंदिर श्री जैनराजजी का नाम भू अभिलेख से विलोपित है, जो कि विधिविरुद्ध है, क्योकि शाश्वत नाबालिग द्वारा धारित आराजी का किसी भी दशा में हस्तान्तरण नही किया जा सकता है तथा इस प्रकार किए गये समस्त हस्तान्तरण एवं भू अभिलेख में की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

गई समस्त प्रविष्टियां जो कि शाश्वत नाबालिग के हितो के विरुद्ध हो आरम्भतः प्रभाव शून्य होती है।

6. राजस्व(ग्रुप6) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र संख्या प.2(4)राज-4/90/37 दिनांक 13.12.1991 द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार देवमूर्ति एक शाश्वत अव्यस्क है तथा देवमूर्ति की भूमि पर पूजारी या अन्य किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। भू अभिलेख में केवल कृषक के अधिकार ही दर्ज किए जाते है, मंदिर का पूजारी कौन होगा, उसे कौन नियुक्त करेगा तथा उसकी मृत्यु पर उत्पन्न उत्तराधिकार के विवाद का हल किस प्रकार होगा आदि दिवानी विवाद की श्रेणी में आते है जो केवल दिवानी न्यायालयो के क्षैत्राधिकार का विषय है। राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के साथ पूजारी या सिवायत का नाम लिखे जाने का कोई प्रावधान नही है। अतः जमाबन्दी में देवमूर्ति के साथ दर्ज पूजारी का नाम विलोपित कर दिया जावे तथा भविष्य में राजस्व विभाग/बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाई जाने वाली जमाबन्दियो में देवमूर्ति के साथ पूजारी या सिवायत का नाम नही लिखा जावे। अतः वादपत्र में वादी द्वारा देवमूर्ति के साथ स्वयं को पूजारी के रूप में दर्ज किए जाने हेतू वांछित अनुतोष विधिविरूद्ध एवं क्षैत्राधिकार बाह्य होने से स्वीकार नही किया जा सकता है।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी संवत् 2007-2008 अर्थात भू प्रबन्ध पूर्व से मन्दिर श्री जैनराज वाके गांव पीपाड़ा के नाम खुदकाश्त दर्ज रही है। मंदिर श्री जैनराजजी शाश्वत नाबालिग की श्रेणी में आते है। वादग्रस्त आराजी के वर्तमान भू अभिलेख में मंदिर श्री जैनराजजी के नाम की प्रविष्टि का पूर्णतया अभाव है तथा इसके स्थान पर प्रतिवादीगण बतौर खातेदार दर्ज है, शाश्वत नाबालिग मंदिर श्री जैनराजजी के हितो के विरूद्ध स्वीकृत समस्त नामान्तरण, ऐसे नामान्तरणो के आधार पर भू अभिलेख में की गई समस्त प्रविष्टियां तथा ऐसी प्रविष्टियों के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा किए गए समस्त हस्तान्तरण एवं अन्य विलेख आरम्भतः शून्य एवं प्रभावहीन है। अतः वादग्रस्त आराजी ग्राम आकोदिया तहसील जैतारण के खसरा संख्या 56 रकबा 01-00 बीघा, खसरा संख्या 57 रकबा 34-04 बीघा कुल रकबा 35-04 बीघा किस्म बारानी दोयम के अधिकार अभिलेख में दर्ज प्रतिवादीगण का नाम विलोपित करते हुए मंदिर श्री जैनराजजी को खातेदार अभिधारी घोषित किया जाना तथा प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बेजा दखलन्दाजी से रोकने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुए वादपत्र को इसी अनुरुप स्वीकार कर डिक्री किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा-88, 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम आकोदिया तहसील जैतारण के खसरा संख्या 56 रकबा 01-00 [illegible] संख्या 57 रकबा 34-04 बीघा कुल रकबा 35-04 बीघा किस्म बा[illegible]म के अधिकार अभिलेख में विधिविरूद्ध रूप से एवं शाश्वत नाबालिग मंदिर [illegible]जी के हिता के विरूद्ध आरम्भतः प्रभाव शून्य बतौर खातेदार दर्ज प्रविष्टि[illegible]यां गैरीदेवी, घेवरी देवी, जस्साराम, भीकसिंह, रतनाराम एवं रामू का नाम विलोपित करते हुए मंदिर श्री जैनराजजी को खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है, प्रतिवादीगण को जरिए शाश्वत निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि, नौकर, सेवक, एजेन्ट आदि के माध्यम से शाश्वत नाबालिग मंदिर श्री जैनराजजी को वादग्रस्त आराजी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बेजा दखलन्दाजी नही करे। इसी अनुरूप पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
जिला-पाली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
जैतारण, जिला पाली

निर्णय आज दिनॉक **28/03/2022** को सर-ए-ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
जिला-पाली (राज0)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, जिला पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:37 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

तहसील अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 245/2013

CMS No. : 2013/00238

-: वादीगण :-	बनाम	-: प्रतिवादीगण :-
1. मंदिर श्री जैनराज उर्फ जानकीनाथ शासवत् नाबालिग जरिए पुजारी पुरूषोतमदास पुत्र कानदास जाति-वैष्णव निवासी-पिपाड़ा, तहसील जैतारण जिला पाली।		1. नारायण दत्तक पुत्र रामू 2. भागुराम पुत्र उगराराम जाति जाट निवासी- लिलरिया(बेरा रिणवा) आ.कालू। 3. भीकसिंह पुत्र सज्जनसिंह जाति- राजपूत निवासी- घोड़ावड़, तहसील- जैतारण। 4. उपपंजीयन अधिकारी जैतारण। 5. तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।

मु0न0 :-रा0वा0 स0: 245/2013

राजस्व वाद बाबत घोषणा
अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसा्ल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व महेन्द कुमार गुंरा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा-88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम आकोदिया तहसील जैतारण के खसरा संख्या 56 रकबा 01-00 बीघा, खसरा संख्या 57 रकबा 34-04 बीघा कुल रकबा 35-04 बीघा किस्म बारानी दोयम के अधिकार अभिलेख में विधिविरूद्ध रूप से एवं शाश्वत नाबालिग मंदिर श्री जैनराजजी के हिता के विरूद्ध आरम्भतः प्रभाव शून्य बतौर खातेदार दर्ज प्रविष्टियां गैरीदेवी, घेवरी देवी, जस्साराम, भीकसिंह, रतनाराम एवं रामू का नाम विलोपित करते हुए मंदिर श्री जैनराजजी को खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है, प्रतिवादीगण को जरिए शाश्वत निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि, नौकर, सेवक, एजेन्ट आदि के माध्यम से शाश्वत नाबालिग मंदिर श्री जैनराजजी को वादग्रस्त आराजी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बेजा दखलन्दाजी नही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुये दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

आज तारीख 28/03/2022 को जारी किया गया। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के

मोहर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:37 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वजह सबूत	04-00
महनताना वकील	/
खर्चा गवाहान	02-00
फीस कमीश्नर	/
बाबत ईजराय हुक्मनामा	
मिजानः-	10-00

मुद्दायलाह	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प ...	/
महनताना वकील	
खर्चा गवाहान	
फीस कमीश्नर	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	
मुत्फरिक	
मिजानः-	01-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नही दर्ज किया जावें।